

राजस्थान सरकार
राज्य स्वास्थ्य समिति, राजस्थान (एनएचएम)
स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

NO.F.20(254)/NHM/HRD/PIP/Lab Attendant-PHL/2024-25/ 554

Date: 07/3/25

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

भारत सरकार से स्वीकृत पीआईपी वर्ष 2024-26 में FMR Code HSS.9/HRH/S.N.185/Remuneration for all NHM HR के अंतर्गत प्राप्त बजट स्वीकृति अनुसार जिलों में स्थापित जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में कार्यरत **Lab Attendant (Public Health Labs)** के मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु. 14.87 लाख (Fourteen Lakh Eighty Seven Thousand) तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु. 15.61 (Fifteen Lakh Sixty One Thousand) की वित्तीय स्वीकृति जिला स्वास्थ्य समितियों को एतद द्वारा प्रदान की जाती है।
वर्णित स्वीकृति में कार्मिकों (संविदा/संवेदक) के भुगतान हेतु आवंटित राशि की अधिकतम सीमा अंकित है।

Sr. No.	Name of District Health Society	Total No. of Sanctioned Staff / Units	Total Sanctioned Amount For FY 2024-25 @8850/-PM (in Rs)	Total Sanctioned Amount For FY 2025-26 @9293/-PM (in Rs)
1	Ajmer	2	212400	223032
2	Alwar	2	212400	223032
3	Jaipur-I	4	424800	446064
4	Jodhpur	2	212400	223032
5	Kota	2	212400	223032
6	Udaipur	2	212400	223032
Total		14	1486800	1561224
Total Amount (Rs in Lakh)			14.87	15.61

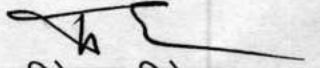
सम्बंधित जिला स्वास्थ्य समिति अनुमोदित बजट सीमा में व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।
उक्त व्यय NHM Flexible pool में उपलब्ध वित्तीय सीमा एवं एफएमआर में सम्बंधित बजट मद में बुक किया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्तानुसार संबंधित सर्विसेज हायर करने हेतु स्वीकृत की गयी मासिक मानदेय दर से अधिक राशि का भुगतान नहीं किया जावे।

(डॉ० भारती दीक्षित)
मिशन निदेशक एनएचएम
एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव,
चिकि० स्वा० एवं प०क० विभाग,
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।

3. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एमएचएम, जयपुर।
4. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य/आरसीएच) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।
6. निदेशक (वित्त) एनएचएम जयपुर।
7. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम।
8. राज्य नोडल अधिकारी-एचआर, एनएचएम जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, संबंधित जोन।
10. मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिला।
12. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम, संबंधित जिला।
13. प्रभारी सर्वर रूम को वास्ते ई-मेल।
14. रक्षित पत्रावली।


परियोजना निदेशक
एनएचएम